persons. You have read the names of other persons. What about these persons? Please let me know. I have written to you a letter, and I have the right to get a reply from you.

SHRI K BRAHMANANDA REDDY I shall look into it.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted

16.07 hrs.

PRESIDENT'S PENSION (AMENDMENT) BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H MOHSIN): I beg to move.*

"That the Bill further to amend the President's Pension Act, 1951, be taken into consideration."

This is a very simple Bill The existing provisions of the President's Pension Act, 1951, *inter alia*, provide for medical attendance and treatment, free of charge, to a retired President. But such facilities are not available to the spouse of a retired President or the spouse of a President who dies while holding office as such. Keeping in view the dignity of the high office of the President, it is proposed to extend the said facilities to the spouse of a President in both cases

This is a very simple Bill and I commend it for the acceptance of the House.

16.08 hrs.

[SHRI P. PARTHASARATHY *in the Chair*]

MR. CHAIRMAN Motion moved:

"That the Bill further to amend the President's Pension Act, 1951, be taken into consideration."

Sardar Swarn Singh Sokhi.

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) चेयरमैन साहब, मैं इस बिल का तहेदिल से स्वागत करता हू और इस पर कुछ सुझाव देना चाहता हू, उम्मीद है मिनिस्टर साहब उन का ख्याल करेंगे। प्रेसीडेंट पेंशन ऐक्ट 1951 में बना था और 15,000 रु० सालाना पेंशन प्रेसीडेंट की बाकी जिन्दगी के लिये रखी गई थी, तथा 12,000 रु० सालाना सेक्रेटेरियल स्टाफ के लिये था। आज उस ऐक्ट को बने 25 साल हो गये हैं लेकिन वह पेंशन उतनी की उतनी ही है। जब यह बिल आया तो मैं समझा कि शायद प्रेसीडेंट की पेंशन बढ़ाने जा रहे हैं। जब आज सारी चीजों के दाम बढ़ गये तो प्रेसीडेंट की पेंशन भी बढ़ानी चाहिये। उस वक्त के 15,000 रु० सालाना आज कल 2,400 रु० सालाना के बराबर हैं। प्रेसीडेंट के रिटायर होने के बाद जो उन के खर्चे बढ़े हुए होते हैं उन को कट डाउन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिये इतने बड़े आफिस को ध्यान में रखते हुए उन की पेंशन मेरी राय में कम से कम 25,000 रु० सालाना होनी चाहिये, और इसी तरह से सेक्रेटेरियल स्टाफ का खर्चा भी बढ़ाना चाहिये क्यों कि हम नहीं चाहते आइन्दा कोई ऐसा समय आये जब पैसा न होने की वजह से रिटायर्ड प्रेसीडेंट को को

---

*Moved with the recommendation of the President.

[सरदार स्वर्ण सिंह सोखी]

तकलीफ हो। जब स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ गई, मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट के अलाउन्सेज बढ़ चुके हैं, उन को कांस्टीट्यूएँसी अलाउन्स भी दिया गया है, तो आप मेहरबानी कर के प्रेसीडेंट की पेंशन को भी बढ़ाने की कोशिश कीजिये।

इस बिल के द्वारा उन की स्पाउज को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था की जा रही है, जो एक अच्छी बात है। इस बारे में सरकार ने पहले से क्यों नहीं सोचा ?

हमारे देश में मोहमेडन प्रजिडेंट भी होते हैं। अगर कोई ऐसा प्रैजिडेंट आफिस में मर जाये, जिस के चार स्पाउस हैं, जो उन लोगों के लिए लीगली एलाउड है, उन सब के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए। डा० जाकिर हुसैन साहब आफिस में रहते हुए मर गये। मेरे ख्याल में उन की बीवी को लाइफ-टाइम के लिए जरूर पेन्शन देनी चाहिए।

अमरीका में प्रैजिडेंट केनेडी आफिस में रहते हुए मर गये। वह दो बच्चे छोड़ गये, जो नाबालिग थे। उन बच्चों की देख-रेख के लिए मिसेज केनेडी को नई शादी करनी पड़ी। (व्यवधान) सारी दुनिया को इस का पता है। मैंने अखबारों में पढ़ा है, मैं वह बता रहा हूं। खैर हिन्दुस्तान में तो ऐसा नहीं होगा। जो प्रैजिडेंट आफिस में रहते हुए गुजर जाते हैं मैं उन की बीवी को पेन्शन देने के बारे में कह रहा हूं।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, इस बिल का मतलब केवल यही है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति की, या राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जिन की मृत्यु हो जाये, उस की पत्नी को चिकित्सा की सुविधा दी जाये। कोई भी व्यक्ति इस बात का विरोध नहीं कर सकता है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार इस तरह की व्यवस्था भूतपूर्व राष्ट्रपतियों की पत्नियों के लिए कर रही है, तो वह थोड़ा आगे भी जाये, और उस के जो कर्मचारी हैं, उन के लिए भी कुछ व्यवस्था करे और फिर हम लोग भी हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : हम कर्मचारी नहीं हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : हम जनता के कर्मचारी हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस विधेयक का विरोध नहीं हो सकता है। लेकिन इस भावना को हम थोड़ा नीचे भी ले जाये और सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था करें।

यह भी देखना चाहिए कि जिन लोगों को पेन्शन दी जाती है, क्या वह उन को समय पर मिलती है। राष्ट्रपति को तो जरूर समय पर मिलती होगी, लेकिन दूसरे लोगों को समय पर नहीं मिलती है। इस के अलावा इस समय जो पेन्शन मिलती है, वह कम है। सरकार पेन्शन में कुछ वृद्धि की है, मगर उन में और वृद्धि करने की आवश्यकता है।

श्री सोंधी ने कहा है कि भूतपूर्व राष्ट्रपतियों की पेन्शन बढ़ानी चाहिए। उन का साथ ही यह भी कहना चाहिए था कि अन्य पेन्शनरों की पेन्शन की राशि भी बढ़ानी चाहिए। क्योंकि महगाई केवल राष्ट्रपति के लिए नहीं है, महगाई उन तमाम लोगों के लिए भी है जो पेंशन पाते है। तो उन की पेंशन की राशि भी बढ़ाइए और समय पर उन को दीजिए ताकि वे महसूस करे कि सरकार उन के प्रति सजग है, सचेष्ट है, उन की कठिनाइयों को ध्यान में रखती है, उन की सेवाओं का बदला अदा कर रही है, पूरा बदला तो आप नहीं अदा कर सकते फिर भी कुछ न कुछ कर रहे है। यद्यपि इस विधेयक का दायरा बहुत सीमित है लेकिन यह निवेदन मैं इस के संबंध में आप से अवश्य करूंगा कि कर्मचारियों स्वतन्त्रता सनानियों या दूसरे पेंशन पाने वाले लोग है उन की दशा पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। उनके लिए ठीक तरह से चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अभी चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था बहुत जगह नहीं होती है। सरकारी अस्पताल भी आप के होते है तो कभी दवा नही होती है, कभी डाक्टर नहीं होते हैं, अभी सरकार पटना में सी जी एच एस स्कीम लागू करने जा रही है लेकिन केवल तीन डिस्पेंसरीज बना रही है तो उस से क्या होगा। वहां हजारों हजार कर्मचारी है, 3 डिस्पेंसरीज से उन की सेवा कैसे कर सकेंगे? तो उस दृष्टिकोण को आप ध्यान में रखिए कि पर्याप्त मात्रा में आप की डिस्पेंसरीज हों डाक्टर हों, दवाएं हो, नर्सेज हो, पूरी व्यवस्था हो। ऐसा आप ने किया तब तो इस तरह के बिल का कोई मतलब है। इन के लिए तो आप जरूर करेंगे, लेकिन इस तरह की सुविधाएं औरों को भी दीजिए। उन के लिए ठीक तरह की व्यवस्था की जाए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F H MOHSIN) I am thankful to both the participants who have spoken on this Bill

As I have already said, it is a very simple Bill extending the facilities of medical assistance to the wives of the ex-Presidents or retired Presidents. This was not there in the original Bill. Only ex-Presidents were entitled to free medical assistance along with a pension of Rs 15,000 per annum and also Rs. 12,000, per annum for maintenance of secretarial staff Later on, it was found that their wives also should be given medical assistance in conformity with the practices elsewhere That is why this Bill has been brought forward

Of course some other suggestions also have been made that even the pension should be raised, that the pension of Rs 15,000 was fixed long time ago and it needs a revision. Of course, there is considerable point in what the hon Member says Even in respect of salaries of Ministers, they were fixed quite long time ago, but I am not advocating that In this Bill the only intention is to extend the free medical assistance to the wives or widows of the former Presidents and the spouses of future incumbents

Shri Ramavatar Shastri has made—of course not quite relevant— a point in this connection, that the pension of other Government servants should also be raised

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Including Freedom Fighters,

SHRI F. H. MOHSIN: But that is a different scheme altogether.

[Shri F. H. Mohsin]

This cannot be tagged on to the Freedom Fighter's pension which has already been fixed. That is not relevant to the Bill before us. I can discuss it with him later.

I once again thank the hon. Members for their full support and I move that the Bill be taken into consideration.

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill further to amend the President's Pension Act, 1951, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: There are no amendments to clauses 2 to 4 I am putting them to the vote of the House

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clauses 2 to 4 stand part the Bill."

The motion was adopted

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI F. H. MOHSIN: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.21 hrs.

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (DR. V. A. SEYID MUHAMMAD): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 be taken into consideration".

Article 82 of the Constitution provides that upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine. It further provides that such readjustment shall not affect representation in the House of the People until the dissolution of the then existing House. There is a similar provision in article 170(3) of the Constitution in respect of the Legislative Assemblies of the States. In accordance with these provisions of the Constitution Parliament enacted the Delimitation Act, 1972 providing for the setting up of a Delimitation Commission The Delimitation Commission appointed under the Delimitation Act, 1972 has completed the work of final determination of the number and the extent of Parliamentary and Assembly constituencies in respect of all States and Union territories, except the Union territory of Arunachal Pradesh Under the provisions of the Government of Union Territories (Amendment) Act, 1975 the Election Commission has been entrusted with the task of determining the extent of the two Parliamentary constituencies and 30 Assembly constituencies in the Union territory of Arunachal Pradesh and the final orders of delimitation in this regard have also been issued.

The purpose of the amendments contained in the present Bill is to empower the Election Commission to consolidate all orders of delimitation into a single Order and to maintain the said Order up-to-date by correcting printing mistakes, etc. The First and the Second Schedules to the Representation of the People Act, 1950 are also being amend-